न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या– 42/2021

दायर दिनांक– 31.08.2021

निर्णय दिनांक– 20.05.2022

जीसीएमएस नं0–2021/94

प्रार्थीगण बनाम

1. श्रीमती नन्द कंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह शेखावत
2. श्री विक्रम सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह शेखावत
3. श्री देवेंद्र सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह शेखावत
   जाति राजपूत निवासी कबीर नगर, कबीर कुटीर, लोहागल, अजमेर।

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये आयुक्त, महोदय
3. मूलचंद पुत्र स्व. श्री मिठ्ठू
4. कैलाश पुत्र स्व. श्री मिठ्ठू
5. कंचन पुत्री स्व. श्री मिठ्ठू
6. फूलचंद पुत्र स्व. श्री मिठ्ठू
   जाति खाती निवासी बड़ी होकरा, पुष्कर जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति– 1. श्री महेंद्र सिंह चौहान, प्रार्थीगण, अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर
3. श्री एस.के.पाराशर, अजमेर विकास प्राधिकरण, अधिवक्ता

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, [illegible] स्थित ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि [illegible] जमाबन्दी के खसरा नंबरान 3309/3588 रकबा 0.36 हैक्ट0, 3310 रकबा 0.12 हैक्ट0, 3311 रकबा 0.09 हैक्ट0, 3312 मिन रकबा 0.09 हैक्ट0, 3312 मिन रकबा 0.31 हैक्ट0 को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम पूर्वानुसार इन्द्राज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 01.10.2021 को अप्रार्थी सं0 3 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा दिनांक 08.10.2021 को तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1973 दिनांक 30.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बिन्दुवार प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " 1. राजस्व ग्राम होकरा की मिसल बन्दोबस्त संवत 2064 से 2073 अन्तर्गत वादग्रस्त साबिक (वर्किंग) खसरा नम्बर 2097 मिन व 2099 मिन का मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

हाल		साबिक	
ख0 नं0	रकबा	ख0 नं0	रकबा
3309/3588	0.36	2097	0.36
3310	0.12	2099 मि.	0.12
3311	0.09	2099 मि.	0.09
3312	0.40	2099 मि.	0.40

2. राजस्व ग्राम होकरा की वर्किंग जमाबंदी संवत् 241 के खाता संख्या 271 में खसरा नम्बर 2097 रकबा 11–02–10 बीघा, 2098 रकबा 00–01–10 बीघा, 2099 मि. रकबा 09–17–10 कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 21–01–10 पर जमाबंदी के कालम संख्या 4 में मिठू, बंशी पि. छोगा सा. देह राहिन श्री सरकार मुर्तहीन के नाम दर्ज है। तथा नामा. सं. 213 दिनांक 12.09.98 से मिठू की विरासत का नामा. दर्ज है। नामा. संख्या 841 दिनांक 24.01.07 जरिये विरासत बंशी पुत्र छोगा के अविवाहित फौत होने पर वारिसान ग्यारसी बेवा मिठू मूलचन्द, फूलचन्द, कैलाश पि. मिठू कंचन पुत्री मिठू कौम खाती के नाम खसरा नम्बर 2097 मि. रकबा 02–04–00 बीघा, 2099 मि. रकबा 02–17–00 बीघा पर अंकन स्वीकार हुआ, शेष बदस्तूर तथा नामा. संख्या 899 दिनांक 06.06.07 से जरिये बेचान ख.नं. 2097 मिरकबा 02–04–00 बीघा, 2099 मि. रकबा [illegible]–00 बीघा पर विक्रेता ग्यारसी बेवा मिठ, मूलचन्द, कैलाश पि. [illegible] के बजाय क्रेती श्रीमती अंतरकंवर पत्नी गुलाबसिंह शेखावत [illegible] कुटीर, कबीर नगर ग्राम लोहागल के नाम अंकन स्वीकार हआ, शेष इन्द्राज बदस्तूर का जमाबंदी में नोट लगा हुआ है। नामा. संख्या 900 दिनांक 06.06.07 से जरिये बेचान खसरा नम्बर 2097. रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested

20-5-22,
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

02–04–00 बीघा, 2099 मि. रकबा 02–17–00 बीघा पर विक्रेता फूलचन्द पुत्र मिठू के बजाय क्रेती श्रीमती अंतरकंवर पत्नी गुलाबसिंह शेखावत जाति राजपूत नि. कबीर कुटीर, कबीर नगर ग्राम लोहागल के नाम अंकन स्वीकार हआ, शेष इन्द्राज बदस्तूर का जमाबंदी में नोट लगा हुआ है।

3. राजस्व ग्राम होकरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–2075 (सेग्रीगेशन जमाबंदी) के खाता संख्या 479 में खसरा नम्बर 3309/3588 रकबा .36 किस्म चाही 2 पर नाबा. कैलाश पुत्र मिठू सरपरस्त माता खुद हि. 1/8,ग्यारसी पत्नी मिठू हि. 1/8, नाबा. फूलचन्द पुत्र मिठू संरक्षक माता खुद हि. 1/8, बंशी पुत्र छोगा हि. 1/2, मूलचन्द पुत्र मिठू हि. 1/8 समस्त जाति खाती सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। खाता संख्या 951 में खसरा नम्बर 3310 रकबा 0.12 किस्म चाही 2, खसरा नम्बर 3312 रकबा 0.40 किस्म चाही 2 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर हिस्सा पूर्ण दर्ज है। खाता संख्या 01 में काबिल काश्त भूमि में खसरा नम्बर 3311 रकबा 0.09 किस्म चाही 2 दर्ज है। बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 3310, 3312 अजमेर विकास प्रधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है तथा ख0नं0 3311 सिवायचक काबिल काश्त भूमि है। **ख0नं0 3310, 3312, 3311 पर राजहित प्रभावित होता है।**

4. वर्तमान खसरा नम्बर 3309/3588 रकबा 0.36 किस्म चाही 2 पर वर्किंग जमाबंदी में दर्ज नामा. सं. 899 व 900 दिनांक 06.06.07 बेचान का अमल करते हुए वर्तमान में दर्ज खातेदार ग्यारसी पत्नी मिठू, मूलचन्द पुत्र मिठू, नामा. कैलाश पुत्र मिठू, नाबा. फूलचन्द पुत्र मिठू, बंशी पुत्र छोगा के स्थान के स्थान पर क्रेती अंतर कंवर पत्नी गुलाब सिंह शेखावत जाति राजपूत नि. कबीर कुटीर, कबीर नगर ग्राम लोहागल के नाम की दुरूती किया जाना अनुशंषनीय है।

दिनांक 07.03.2022 को अप्रार्थी सं0 2 अजमेर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त महोदय द्वारा बिन्दुवार जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसमें कथन किया कि " 1. प्रकरण के पैरा सं0 1 लगायत 6 में वर्णित कथन जिस प्रकार से एवं जिस उद्देश्य से वर्णित किये गये हैं वह गलत होने से अस्वीकार हैं। यहां पर अप्रार्थी उत्तरदाता की ओर से से निवेदन हैं कि प्रश्नगत ग्राम होकरा तहसील पुष्कर के खसरा नंबर 3310 रकबा 0.12 है. किस्म चाही 2, खसरा नंबर 3311 रकबा 0.09 है. किस्म चाही 2, खसरा नंबर 3312 रकबा 0.40 है. किस्म चाही 2 जिला कलक्टर अजमेर के आदेश के द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। जिसके संबंध में अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 48 प्रावधानों के तहत कार्यवाही का अधिकारी प्राधिकरण में निहित है। प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाकर प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं। जो कि खारिज किये जाने योग्य है। 2. प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

के पैरा सं0 7 व 9 में वर्णित कथन जिस प्रकार एवं जिस उद्देश्य से वर्णित किये गये हैं वह गलत होने से अस्वीकार हैं। यहां पर अप्रार्थी उत्तरदाता की ओर से निवेदन हैं कि प्रकरण पर सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं हैं। प्रकरण में वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ हैं, प्रार्थीगण द्वारा परिसीमा अवधि के बाहर जाकर वाद पेश किया गया हैं। जो कि अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य हैं। शेष अनुतोष हैं, जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पैरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 3309/3588 रकबा 0.36 किस्म चाही 2 खातेदार श्रीमती अंतर कंवर पत्नी गुलाब सिंह शेखावत जाति राजपूत नि. कबीर कुटीर, कबीर नगर ग्राम लोहागल के नाम खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती न्यायहित में उचित प्रतीत होती है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है ग्राम होकरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 3309/3588 रकबा 0.36 किस्म चाही 2 में दर्ज खातेदार ग्यारसी पत्नी मिठू, मूलचन्द पुत्र मिठू, नाबा. कैलाश पुत्र मिठू, नाबा. फूलचन्द पुत्र मिठू, बंशी पुत्र छोगा के स्थान के स्थान पर क्रेती अंतर कंवर पत्नी गुलाब सिंह शेखावत जाति राजपूत नि. कबीर कुटीर, कबीर नगर ग्राम लोहागल के नाम इन्द्राज दुरूस्त की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:17:45 IST
Reason: SelfAttested

20.5.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)